

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978}

THE UTTAR PRADESH EMPLOYMENT OF SUBSTITUTE
WORKMEN ACT, 1978

[U. P. Act No, IV of 1978]

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1978}

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च 1978 ई. तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 अप्रैल, 1978 ई. की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 को प्रकाशित हुआ।

कतिपय औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978 और
कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार

प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2— इस अधिनियम में, ———

परिभाषाएँ

(1) “विनियुक्ति भत्ता” का तात्पर्य उस धनराशि से है, जो किसी मजदूर को एक दिन के लिये देय मजदूरी के तैंतीस प्रतिशत के बराबर हो;

(2) “औद्योगिक अधिष्ठान” का तात्पर्य सूत, जूट, ऊन, वस्त्र, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम धागा के कारखानों से सम्बंधित किसी अधिष्ठान से है और इसमें ऐसे अन्य अधिष्ठान भी सम्मिलित हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय;

(3) “आरक्षित समूह मजदूर” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलैण्डर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थाई प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे अधिक दिन के लिये नियोजित किया गया हो;

(4) “मजदूरी” का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है, (चाहे वह वेतन, भत्ता या अन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबंधनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हो;

(5) शब्द “मालिक” और “मजदूर” के कमशः वही अर्थ होंगे, जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में उसके लिये दिये गये हैं;

(6) शब्द “कारखाना” का वही अर्थ होगा, जो कारखाना अधिनियम, 1948 में उसके लिये दिया गया है।

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 20 मार्च, 1978 का उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट देखिये।

{उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978}

{धारा

3—9}

3— प्रत्येक मालिक आरक्षित-समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा और उसमें समस्त मजदूरों का

मालिक समूह

आरक्षित समूह—मजदूरों को श्रेणीवार और ऐसे ज्येष्ठता—क्रम में, जिसकी गणना इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेन्डर मास के दौरान अधिकतम कार्य दिवस के आधार पर की जायगी, दर्ज करेगा।	रजिस्टर रखेगा
4— आरक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध औद्योगिक सूची	समूह मजदूरों की
अधिष्ठान के सूचना पट्ट पर इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर चिपकाई जायेगी।	प्रदर्शित की जायेगी
5— जब कोई आरक्षित समूह—मजदूर कार्य के लिये उपस्थित होता है और मालिक होने	कार्य की व्यवस्था न
उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिये विनियुक्त का	पर विनियुक्त भत्ता
भत्ता देगा :	भुगतान
परन्तु कोई विनियुक्त भत्ता लगातार बारह कलेन्डर मास की किसी अवधि में नब्बे दिन से अधिक के लिये देय नहीं होगा।	
6— प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध में, जिसमें रिक्वि हो, आरक्षित समूह मजदूरों मजदूरों की	आरक्षित समूह
को स्थाई रूप में नियुक्त करते समय उसी क्रम का अनुसरण करेगा, जिस क्रम में ऐसे मजदूरों के नाम धारा 3 के अधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों।	स्थायी नियुक्ति
7— कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।	शास्ति
8— (1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला मजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा।	अपराध का संज्ञान
(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।	
9— (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया अपराध	कम्पनियों द्वारा
गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य—संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा :	
परन्तु इस उपधारा की किसी बात से इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी।	
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और दंड दिया जा सकेगा।	
[उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अधिनियम, 1978] {धारा 10—11}	
स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिये —	
(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और	
(ख) किसी फर्म के संबंध में, ‘निदेशक’ का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।	
10— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के विषय में	अन्य विधियों के
अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।	अपवाद

11— (1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
अध्यादेश सं०

निरसन
उत्तर प्रदेश
1, 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

THE UTTAR PRADESH EMPLOYMENT OF SUBSTITUTE WORKMEN ACT, 1978¹

[U. P. Act No. IV of 1978]

[Passed in Hindi by the. Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 30, 1978 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 11, 1978.]

Received the assent of the Governor on April 16, 1978 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated April 18, 1978.]

AN

ACT

to provide for the employment of substitute workmen in certain industrial establishments and for matters connected therewith.

India as follows:-
IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of

commencement 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Act, 1978.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 26, 1978.

Definitions 2. In this Act,-

(1) "disappointment allowance" means an amount equal to thirty-three per cent of the wages payable to a workman for one day;

(2) "industrial establishment" means any establishment pertaining to cotton, jute, woollen, textiles, synthetic fibres, synthetic yarn factories, and includes such other establishments as may be notified by the State Government in this behalf ;.

(3) "reserve pool workman" means a person, who was employed by an employer for 300 day's or more during the twenty-four calendar months immediately preceding the commencement of this Act on a job of permanent nature;

(4) "wages" means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money, which would, if the terms of employment express or implied were fulfilled, be payable to a workman in respect of his employment of work done in such employment;

(5) the words "employer" and "workmen" shall have the meanings respectively assigned to them in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 ;

(6) the word "factory" shall have the meaning assigned to it in the Factories Act, 1948.

[The Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Act, 1978] [Section 3-9]

Employer to maintain pool workmen	3. Every employer shall maintain a register of reserve pool workmen and shall enter therein the names of all reserve pool workmen category-wise and register of arrange in order of seniority reckoned on the basis of the highest number of days worked during the twenty-four calendar months, immediately preceding the commencement of this Act.
List of pool workmen to be	4. A list of the names of the reserve pool workmen category wise shall be pasted on the notice board of the industrial establishment concerned within thirty displayed days from the date of commencement of this Act.
Payment of disappointment on fail work to provide more	5. When a reverse pool workman presents himself for work and the employer fails to give work to him, he shall pay to such workman disappointment allowance for every such day : Provided that no disappointment allowance shall be payable for than ninety days, during any period of continuous twelve calendar months.
Permanent appointment of pool	6. Every employer shall while making permanent appointment of reserve pool workmen in relation to any category in which vacancy occurs, follow the reserve order in which the names of such workmen are entered in the register workmen maintained under section 3.
Penalty	7. Whoever contravenes any provision of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine or with both.
Cognizance of offence	8. (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by the District Magistrate or any officer authorized by him in this behalf. (2) No Court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.
Offence by every companies	9. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, person who at the time the offence was committed was incharge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed, to be guilty of the offence and shall be liable to be ,proceeded against and punished accordingly : Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer, the shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

[The Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Act, 1978] [Section 10-11]

Explanation-- For the purpose of this section-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and'
- (b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Savings for 10. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the other laws provisions of any other law for the time being in force.

Repeal of 11. (1) The Uttar Pradesh Employment of Substitute Workmen Ordinance, 1978 is Ordinance no. hereby repealed.
1 U.P. of 1978

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

